भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 938

जिसका उत्तर 08.02.2024 को दिया जाना है

जीपीएस आधारित पथकर संग्रहण

938. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री भोला सिंह:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पूरे भारत में विभिन्न मार्गों पर वर्तमान फास्टैग आधारित पथकर प्रणाली को प्रतिस्थापित करके जीपीएस आधारित पथकर संग्रहण आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएचएआई ने 'एक वाहन एक फास्टैग' पहल के अंतर्गत अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालन के बिना सभी फास्टैग को रद्द करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा 31 जनवरी, 2024 के बाद अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग को निष्क्रिय/काली सूची में डाल दिया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनेक वाहन एक ही फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) एक वाहन एक फास्टैग प्रणाली का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक पथकर प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और उसे सुप्रवाही बनाने में किस प्रकार सहायक होगा; और

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी के साथ फास्टैग को अद्यतन करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हां। सरकार ने बैरियर रहित मुक्त प्रवाह पथकर प्रणाली पर आधारित वैश्विक नेवीगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) जैसी नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन पर परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रारंभ में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रानिक टॉल कलेक्शन प्रणाली को फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों पर लागू किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग को 29.02.24 के बाद बैंकों द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पहले ही सभी जारीकर्ता बैंकों को 01.03.23 से पहले सभी फास्टैग उपयोगकर्ताओं की केवाईसी पूरी करने के निर्देश जारी किए थे, हालांकि, 100% अनुपालन हासिल नहीं किया गया था। एनएचएआई की हालिया पहल का उद्देश्य शुल्क प्लाजा पर सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा से बचने के लिए फास्टैग प्रणाली को 100% केवाईसी अनुपालन बनाना है। "एक वाहन एक फास्टैग" के तहत, एनएचएआई का लक्ष्य एक ही वाहन पर जारी कई फास्टैग को निष्क्रिय/ब्लैकलिस्ट करना है।

(घ) और (ङ) ऐसे दृष्टांतों की सूचना मिली है जब किसी अन्य वाहन को जारी किए गए फास्टैग को किसी अन्य वाहन (वाहनों) में विंडस्क्रीन पर लगाए बिना ले जाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ता शुल्क में कटौती भी होती है, भले ही उस वाहन ने शुल्क प्लाजा को पार न किया हो। एक वाहन एक फास्टैग पहल से फास्टैग के इस तरह के दुरुपयोग को कम से कम किया जा सकेगा।

एक वाहन एक फास्टैग पहल का उद्देश्य दक्षता में वृद्धि करना और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को मजबूत करना है:

1. कारोबारी कार्यवाही में देरी को कम करना

2. सिस्टम से बड़ी मात्रा में निष्क्रिय/काली सूची में डाले गए फास्टैग को हटाना

3. फास्टैग की अनधिकृत हैंडलिंग की रोकथाम जो वाहन की विंडस्क्रीन पर नहीं लगाई जाती हैं

4. अन्य वाहन के फास्टैग और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के दुरुपयोग की संभावना को कम करके सिस्टम की समग्र विश्वसनीयता बढ़ाना

5. टोलिंग उद्देश्य के लिए वाहन का विशिष्ट पहचानकर्ता बनाना।

(च) आरबीआई द्वारा मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निदेश, 2016 (04 जनवरी, 2024 तक अद्यतन) आरबीआई/डीबीआर/2015-16/18 मास्टर निदेश के माध्यम से जारी दिशानिर्देश डी.बी.आर.एएमएल.बीसी. सं.81/14.01.001/2015-16 फास्टैग ग्राहकों सहित सभी प्रीपेड भुगतान लिखित (पीपीआई) पर लागू है।

दिशानिर्देशों में फास्टैग जैसे सभी पीपीआई के केवाईसी को पूरी तरह से केवाईसी अनुपालन करने की आवश्यकता है। दिशा-निर्देशों में केवाईसी को आवधिक रूप से अद्यतन करने की भी अपेक्षा की गई है जो उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक दो वर्ष में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक आठ वर्ष में एक बार और खाता खोलने की तारीख से कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक दस वर्ष में एक बार/अंतिम केवाईसी अद्यतन की अवधि में होती है।

एनएचएआई ने हालिया पहल के माध्यम से फास्टैग प्रणाली को 100% केवाईसी अनुपालन बनाने का लक्ष्य रखा है ताकि शुल्क प्लाजा पर सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा से बचाया जा सके।

******